

पत्रांक- 88/अ0जि0-नमामि गंगे/2026-27

दिनांक- 09.07.2026

जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन के क्रम जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी पाइप लाइन के पुर्नविधान एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक-07.07.2026 को आहूत बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति:-

1. श्री प्रशान्त यादव सिंह अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
2. श्री अतीन्द्र केसरवारी, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र।
3. श्री पी0के0 आर्या, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
4. श्री संतोष कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. श्री पंकज कुमार सहायक अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, सोनभद्र।
6. श्री महमूर अली सहायक अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, सोनभद्र।
7. श्री संजय कुमार सहायक अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, सोनभद्र।
8. श्री राणा प्रताप सिंह, डी0पी0एम0 टी0पी0आई0ए0, सोनभद्र।
9. श्री हिमांशु कुमार, डिस्ट्रिक्ट हेड पी0एम0सी0, सोनभद्र।
10. धर्मवीर सिंह परियोजना प्रबन्धक, नालंदा इंजीनियरिंग प्रालि0।
11. प्रतिनिधि में0 वी0पी0आर0पी0एल0/जी0वी0पी0आर0/एन0सी0सी0/एल0एण्ड0टी0।

विभागवार बैठक का विवरण निम्नानुसार है:-

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

सहायक अभियन्ता श्री संजय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि बेलाही पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किरौलिया बैरियर से रामगढ़ रेंज आफिस एवं आर0पी0के0 से सण्डी तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये पेयजल पाइप लाइन के पुर्नविधान हेतु प्रेषित प्राक्कलन के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जा चुकी है। दी गयी धनराशि के सापेक्ष 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नगवां पेयजल योजनान्तर्गत रायपुर से सरईगढ़ मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये पेयजल पाइप लाइन के पुर्नविधान हेतु प्रेषित प्राक्कलन के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजनाओं में कार्य पूर्ण न होने से 17 ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है।

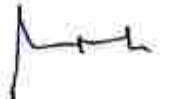
सहायक अभियन्ता श्री पंकज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि पटवध पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बरबसपुर से फुलवारी मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये पेयजल पाइप लाइन के पुर्नविधान का प्राक्कलन ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान तक प्राक्कलन की धनराशि प्राप्त न होने के कारण क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का पुर्नविधान नहीं किया जा सका है जिससे 25 ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है।

सहायक अभियन्ता श्री महमूर अली द्वारा अवगत कराया गया कि झीलो-बीजपुर पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बैना से लिंक रोड से बघाडू से लिलासी खुर्द मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये पेयजल पाइप लाइन के पुर्नविधान का प्राक्कलन ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को पत्र संख्या-6833 दिनांक-21.12.2024 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान तक प्राक्कलन की धनराशि प्राप्त न होने के कारण क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का पुर्नविधान नहीं किया जा सका है जिससे उक्त योजना के 15 ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है।

उक्त के क्रम में सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र को निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे, जिससे बाधित जलापूर्ति को बहाल किया जा सके।

लोनि0वि0- निर्माण खण्ड-1

सहायक अभियन्ता श्री महमूर अली द्वारा अवगत कराया गया कि झीलो-बीजपुर पेयजल योजनान्तर्गत निर्माण खण्ड-1, लोनि0वि0 द्वारा असनहर से रम्पाकुर मार्ग का सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये पेयजल पाइप लाइन के पुर्नविधान का प्राक्कलन निर्माण खण्ड को पत्रांक-1261 दिनांक- 07.07.2026 द्वारा प्रेषित किया गया है।



उक्त के क्रम में अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सोनमद को निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे बाधित जलापूर्ति को बहाल किया जा सके।

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, सोनमद द्वारा अवगत कराया गया कि डिबूलगंज से जोगेन्द्रा मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, सोनमद को निर्देशित किया गया कि तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में पेयजल पाइप लाइन सिफ्टिंग/पुनर्विधान के प्राक्कलन को अपने प्रस्ताव में शामिल करना सुनिश्चित करें।

लो0नि0वि0-प्रान्तीय खण्ड

परियोजना प्रबन्धक, कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना द्वारा अवगत कराया गया कि लो0नि0वि0-प्रान्तीय खण्ड द्वारा शिल्पी से घोरावल मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान 06 कि0मी0 पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिससे ग्राम शिल्पी में जलापूर्ति बाधित है।

उक्त के क्रम में जू0इं0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का प्रस्ताव तैयार कर लो0नि0वि0-प्रान्तीय खण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लो0नि0वि0-पी0एम0जी0एस0वाई0

सहायक अभियन्ता श्री पंकज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत मीना बाजार में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होगी जिसका पुनर्विधान किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सड़क चौड़ीकरण में क्षतिग्रस्त होने वाली पाइप लाइन के पुनर्विधान का प्रस्ताव तैयार कर पी0एम0जी0एस0वाई0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रबन्धक, हरा ग्राम समूह पेयजल योजना द्वारा अवगत कराया गया कि लो0नि0वि0-पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कोन से बिढमगंज तक चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइप लाइन के पुनर्विधान का प्राक्कलन जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पत्रांक- 707 दिनांक- 22.04.2026 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। वर्तमान तक धनराशि प्राप्त न होने के कारण पुनर्विधान का कार्य नहीं हो सका है। जिससे जलापूर्ति बाधित है।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

नगवां ग्राम समूह पेयजल योजना-

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 राजस्व ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 37 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 33 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं ग्राम चकरिया में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

योजनान्तर्गत ग्राम- रघुनाथ, भीखमपुर, सोढा एवं मऊखुर्द में जलापूर्ति होती है तथा दोमरखांड, करौदिया, खुगवा निबिया टोला, बलौलिया टोला में आज दिनांक तक जलापूर्ति नहीं हुई है।

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत अवशेष ग्रामों की कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

बेलाही ग्राम समूह पेयजल योजना-

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 186 ग्रामों के सापेक्ष 182 राजस्व ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 174 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 133 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 07 ग्राम (किरहुलिया, सरई, नेवारी, पड़ीकला, लेडुआ, पटना, एवं कुदर) सड़क चौड़ीकरण में होने के कारण कमिशनिंग कार्य बाधित है।

सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के पुनर्विधान हेतु जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को प्रेषित प्राक्कलन के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जा चुकी है। दी गयी धनराशि के सापेक्ष फर्म द्वारा 40 प्रतिशत कार्य किया है। वर्तमान में कार्य की प्रगति धीमी है।

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन पुनर्विधान का कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए अवशेष ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण का समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

हर्षा ग्राम समूह पेयजल योजना-

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 16 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है अवशेष ग्रामों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ग्रामों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

तत्क्रम में अधिशासी अभियन्ता वि०वि०ख० पिपरी से वार्ता कर निर्बाध बिजली आपूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना-

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 04 ग्रामों के सापेक्ष कदरा में 70, कोरट एवं रिजूल में 50 प्रतिशत कमिशनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कोरट से शिल्पी का राईजिंग मैन कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

तत्क्रम में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैन पावर लगाकर बचे कमिशनिंग का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना-

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 643 ग्रामों के सापेक्ष 621 ग्रामों की कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 518 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 37 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष कार्यों को कराने के लिए 695 मैन पावर लगाये गये हैं।

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए अवशेष ग्रामों की कमिशनिंग, कैम्पस डवलपमेन्ट, "हर घर जल" प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

झीलो-बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना-

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 171 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 153 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 73 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 109 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कमिशनिंग का कार्य कराने जाने हेतु 370 मैन पावर लगाये गये हैं। जिससे 08. से 10 ग्रामों की कमिशनिंग का कार्य प्रतिदिन पूर्ण किया जाना है।

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए अवशेष ग्रामों की कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित समस्त सहायक अभियन्ता एवं फर्म को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व पाइप लाइन पुर्नविधान/मरम्मत का प्राक्कलन प्रस्ताव में शामिल कराना सुनिश्चित करें, समन्वय में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए।

बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुई।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति,
सोनमद्र।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनमद्र।
2. अधिशासी उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनमद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 सोनमद्र।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनमद्र।
5. कान्ट्रैक्टर फर्म- वी०पी०आर०पी०एल०/जी०वी०पी०आर०/एन०सी०सी०/एल०एण्ड०टी०।

अपर जिलाधिकारी

09.07.27